LOK SABHA

Wednesday, September 1, 1965/Bhadra 10, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समानीकरण योजना

+

*329. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्री काकरोलकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाषा समस्या के हल के लिये पिछले जून के प्रथम सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी द्वारा निकाले गये सूत्र की व्यवहारिकता पर विचार किया है और यदि हां, तो कब तथा इस सूत्र को कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ख) संविधान में मान्यता-प्राप्त विभिन्न भाषाओं के माध्यम से ली गई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में समान स्तर के उत्तरों को समान अंक देने तथा उत्तरों के मूल्यांकन में कोई भेदभाव न होने देने संबंधी प्रस्तावित समानीकरण (मोडरेशन) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना को कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). जी, हां । सरकार ने सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं और उन के समय के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का दृष्टिकोण मालूम करने के बाद सभी अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ-साथ वैकल्पिक माध्यम के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में प्रयोग की अनुमति होनी चाहिये । समानीकरण की एक संतोषजनक योजना का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्माण किया जायगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समानीकरण के सम्बन्ध में किसी भाषा के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग ने अभी तक कोई काम पूरा कर लिया था ? यदि हां, तो उस भाषा का लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के रूप में प्रयोग किए जाने में विलम्ब का कारण क्या है, जब कि राष्ट्रपति के आदेश इस सम्बन्ध में सन् 1960 में जारी किए जा चुके थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य ने जो बात कही वह बहुत दूर तक सही

है । लेकिन 26 जनवरी के बाद जो परिस्थिति हुई उस के कारण उस स्थिति में कुछ परिवर्तन करना लाजिमी हो गया । इसी लिए कुछ देरी होने के बाद अब यह बात सोची जा रही है कि उस सूची में जो भी भाषाएं दी गयी हैं उन सभी में एक साथ परीक्षाए ली जाएं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान की धाराओं में जो आदेश दिए गए हैं उन में परिवर्तन किए बिना उन्हें मान्यता न देने की जो सरकार ने कार्यवाही की है वह कहां तक वैधानिक है ?

श्री ल० ना० मिश्र : संविधान के साथ साथ इसका कोई संघर्ष नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय . .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसका संविधान के साथ संघर्ष नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : संविधान का मैं ने जिक्र नहीं किया । मैं ने तो यह कहा था कि 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग हो सकेगा ऐसा विधेयक द्वारा मान लिया गया था । हिन्दी को यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं में हिन्दी को चलाया जाएगा सरकार ने यह घोषणा की थी, उसको नहीं माना । मेरा कहना है कि यह कहां तक वैधानिक है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस में संविधान के साथ संघर्ष नहीं है जवाब आ गया । वह सही है या नहीं उसको मैं दुरुस्त नहीं करवा सकता ।

Shri S. C. Samanta: May I know the practical difficulties that were found out by the UPSC and what steps the government has taken to overcome those difficulties?

Shri L. N. Misra: The difficulty is mainly about moderation and maintaining the standard.

Shri Subodh Hansda: May I know how the standard will be judged when there will be different examiners in different languages?

Shri L. N. Mishra: That is the problem for solving which we are taking time.

Shri P. R. Chakraverti: Will the government give us an estimate of the specific steps that have been taken to see that the introduction of this moderation scheme does not go in favour of some particular language?

Shri L. N. Mishra: That will be one of the main considerations.

Shri P. C. Borooah: The Nehru formula which settled the language controversy was confined only to the time as to when Hindi should be the official language of the country. What was the reason for bringing this extraneous proposal of holding UPSC examinations in regional languages and complicate the matter?

Shri L. N. Mishra: The idea of having regional languages as media for UPSC examinations had its origin in the report of the Official Language Commission and also in the report of the Committee of Members of Parliament on the official language.

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether the government are cognizant that this hasty decision for which the country may have to repent for long and at leisure is impossible of implementation and would have the necessary effect of prolonging and perpetuating the English language for ever and ever?

Shri L. N. Mishra: There is no hasty decision. We are moving very cautiously. In fact, the complaint is that we are very cautious. I think this will have a healthy effect on the development of regional languages

and also lead to integration of the country.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, भारत के कुछ विश्वविद्यालय इस प्रकार के है जिन में हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं के माध्यम से कुछ कक्षाओं में शिक्षा आरम्भ हो गयी है, कुछ विश्वविद्यालय अभी इस प्रकार के हैं कि जिन में इस प्रकार की शिक्षा आरम्भ नहीं हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह-मंत्रालय के इस प्रकार को घोषणा करने के बाद कि सितम्बर, 1965 में हिन्दी के माध्यम से भी परीक्षाएं आरम्भ हो जाएंगी, हिन्दी के प्रश्न को भी, जब तक सारे विश्वविद्यालय न मान लें, तब तक रोका जाएगा ? अथवा जिन भाषाओं में युवक तैयार हो चुके हैं उनको शीघ्र चालू किया जाएगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : यूनीवरसीटीज का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । हालांकि यह खुशी की बात है कि 34 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां उच्च स्तर पर रीजनल लैंग्वेजेज़ में पढ़ाई होती है और कुछ में पोस्ट ग्रेजएट तक होती है। लेकिन जहां तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का सवाल है, इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है । जब इसको लागू किया जाएगा तो एक साथ किया जाएगा और जिनको ख़्वाहिश होगी वे उस भाषा में परीक्षा दे सकेंगे ।

Shri Hem Barua: Since the claimants to recognition as official languages are only two—Hindi and English, may I know whether our government have considered the possibility of the use of 14 languages in the central service examination leading to linguistic balkanisation of India? If they have, what are their conclusions?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): The conclusion was arrived at after giving full consideration to all possible repercussions and if it had been anticipated that the consequences can be what the hon. Member had predicted, we would not have done it. We do not agree that these would be the consequences.

Shrimati Jyotsna Chanda: In view of the statement made by the minister just now that there will be difficulties in maintaining the standard, may I know what steps the government propose to take to overcome these difficulties?

Shri L. N. Mishra: As I have pointed out earlier, the UPSC is taking time to evolve some formula through which they will have moderation so that the standard does not deteriorate.

Dr. Ranen Sen: Is the Government aware that there is already a stiff opposition from the Hindi protagonists against the introduction of 14 languages for the UPSC examinations?

Some hon. Members: No.

Dr. Ranen Sen: If that is so, what is the attitude of the government towards this matter?

Shri Nanda: It is not a correct assessment he has made.

Shri R. Ramanathan Chettiar: May I know whether the moderation scheme, when implemented, will work against the interests of languages other than Hindi?

Shri Nanda: The whole basis of the scheme of moderation is that it should not work unfairly towards any language.

Shri Kapur Singh: Have this government ever been advised that no objective moderation is possible in this case in view of the fact that all our regional languages have become vehicles of communal and regional passions and if so, why do the government persist in pursuing this crazy idea?

Shri Nanda: The hon. Member very often takes the discussion to a very high level, higher than the situation demands.

Shri Ranga: That is no answer.

Mr. Speaker: I agree, but the minister says he cannot reach that height.

Shri Ranga: Then he himself must undergo some tuition!

Shri Kapur Singh: I am too sensible to take it as a compliment.

Mr. Speaker: At least, I consider it like that.

श्री राम सहाय पांडेय : भाषा समस्या समाधान के संदर्भ में क्षेत्रीय भाषाओं को विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रयोग करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को इस सिद्धान्त को शीघ्र कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है, और कहा गया है तो क्या ?

श्री स० ना० मिश्र : कहा गया है, और खुद भी वे कर रहे है । 34 विश्वविद्यालय कर चुके है और बाकी करना चाहते हैं । जैसा कि शास्त्री जी ने कहा, मैं यह बात मानता हूं कि जब तक सारे विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं में पढ़ाई नहीं होगी परीक्षाओं में दिक्कतें होंगी । लेकिन जो परिस्थिति है उससे हम नहीं भाग सकते, और इस लिए हम एक साथ करना चाहते हैं । जिनकी इच्छा होगी वे प्रादेशिक भाषा में परीक्षा देंगे और जिनकी इच्छा होगी वे अंग्रेजी में देंगे ।

Quota System in Central Services

*336. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether opinions of all State Governments have been elicited on the question of introduction of a quota system in the Central Services for different States;

(b) if so, the consensus of opinion in this regard; and

(c) the decision of Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Shri P. C. Borooah: May I know whether the Government have any proposal to constitute an expert committee to examine the feasibility and desirability of a quota system....

Shri Hathi: No, Sir.

Shri P. C. Borooah: .... and, if so, its contemplated structure?

Shri Hathi: No, Sir.

Mr. Speaker: Shri P. R. Chakraverti.

Shri P. C. Borooah: Sir I have not asked my second question.

Mr. Speaker: He had already two 'Noes'. Does he want another one?

Shri P. C. Borooah: May I know whether Government is aware of the fact that some States like Assam have so far remained unrepresented in the All India Services? If so, I want to know whether any minimum quota will be fixed for each State in the services.

Shri Hathi: As I said, there is no proposal under consideration nor does the Government intend to go into the question by appointing a committee for the fixation of quotas

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether the Government appreciates the fact that the recognition of any quota militates against proper appreciation of the merit of the candidates in the services?

Shri Hathi: It is according to the merits of the candidates in the examination that they are selected.

Shri D. C. Sharma: Shri Rajagopalachari has said, of course, wrongly—and I do not agree with him—that our Congress *raj* is quota-